न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/29/2017

उनवान

1. श्री लादूलाल पिता बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्री गेहरूलाल पिता बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. लाडू पुत्री बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. पेमी पुत्री बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. देउ पुत्री बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. अणछी पत्नि बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. सायरी पुत्री भोला गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री चॉदमल पिता प्रेमराज महाजन निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा के प्रकरण संख्या 27/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी0एल0गुर्जर , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राकेश जैन ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 20.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने मौजा शिवपुर तहसील माण्डल हाल करेड़ा में स्थित भोला पिता छीतर गूजर के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की साबिक आ0नं0 1861 सम्पूर्ण, आ0नं0 1862 में से 3 बिस्वा, आवनंव 1867 में से 2 बिस्वा, आ0नं0 1865 में से 3 बिस्वा, आ0नं0 1859 रकबा 8 बिस्वा व आ0नं0 1858 रकबा 3.01 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 07.06.1966 से क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की। वक्त क्रय से ही प्रार्थी का ही अधिकार आधिपत्य व कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। साबिक आ0नं0 1861, 1862, 1867, 1856 का नामान्तरकरण प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट श्री चांदमल के नाम पर दर्ज कर दिया परन्तु आ0नं0 1858 व 1865 जिसके नवीन नम्बर 2336 व 2346 बने हैं का नामान्तरकरण सहवन से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज नही कर वर्तमान में भोला के वारिसान के नाम गलत दर्ज चली आ रही है। जबकि प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात का सद्भावी क्रेता होकर कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। अतः प्रार्थना है कि आ0नं0 2336 व 2346 का नामान्तरकरण प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी , राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प शिवपुर पर दिनांक 15.06.2015 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त प्रार्थना पत्र पर कैम्प कोर्ट शिवपुर में तहसीलदार करेड़ा को जांच हेतु सौंपा इस पर रिपोर्ट प्राप्त कर कैम्प कोर्ट ज्ञानगढ पर अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 रा0का0अ0

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2015 को स्वीकार करते हुए डिक्री जारी की गई।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र दफा 5 के तहत प्रस्तुत किया है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पटवारी हल्का शिवपुर से दिनांक 05.02.2017 को हुई। पटवारी द्वारा बताया गया कि अपीलाण्ट के खाते की आ0नं0 2336 में से अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि चान्दमल महाजन के नाम दर्ज करने का निर्णय हो चुका है जो पालना हेतु उसके पास आया है। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 06.02.2017 को नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकल दिनांक 07.02.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील मियाद में प्रस्तुत की है। स्वीकार फरमाई जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपील मियाद में प्रस्तुत नही की जाने से खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में यह भी निवेदन किया कि ग्राम शिवपुर तहसील करेड़ा में आ0नं0 2336 रकबा 2.13 बीघा में अपीलार्थी का 1/4 हक हिस्सा निहीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की जो निरस्त योग्य है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विक्रयपत्र एवं तहसीलदार से राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्राप्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रिपोर्ट के आधार पर पारित किया जो उचित है अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात को भोला ने कभी भी रेस्पोडेन्ट सं0 1 को विक्रय नहीं की। वादग्रस्त आराजी भोला के अधिकार एवं आधिपत्य की थी एवं भोला के निधन के पश्चात वादग्रस्त आराजी का खाता विरासत से सायरी, तिलोक, हजारी व बालू के नाम पर खोला गया व बालू के निधन के बाद खाता अपीलान्ट सं0 1 से लगायत 6 के नाम पर 1/4 हिस्से से दर्ज किया गया। वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को दिनांक 07.06.1966 को क्रय करना बताया जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2015 को प्रस्तुत किया जो 50 वर्ष बाद प्रस्तुत किया इस प्रकार वादपत्र ही मियाद बाहर होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकार कर आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो निरस्त योग्य है। बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट चांदमल को श्री भोला के द्वारा कभी भी विक्रय नहीं की गलत है। इस क्रम में अपीलाण्ट का कथन है कि वर्तमान में आ0नं0 2336 में 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है व कब्जा काश्त भी अपीलाण्ट का है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम दर्ज करने का जो आदेश दिया वह निरस्त योग्य है।

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं0 1 चान्दमल के द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प शिवपुर में एक प्रार्थनापत्र दिनांक 15.06.2015 को प्रस्तुत किया जिस पर अपीलार्थी को बिना सुने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2015 को निर्णय एवं डिक्री पारित की जो निरस्त योग्य है। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0 1 के द्वारा एक प्रार्थनापत्र राजस्व लोक अदालत कैम्प शिवपुर तहसील करेड़ा में दिनांक 15.06.2015 को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार करेड़ा से रिपोर्ट चाहे जाने का अंकन है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र को सीधे ही वादपत्र में दर्ज करते हुए दिनांक 03.07.2015 को कोर्ट कैम्प ज्ञानगढ पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जबकि प्रार्थी /रेस्पोडेन्ट सं0 1 के द्वारा एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सीधे ही वादपत्र मानकर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। क्योंकि वादोक्त आराजीयात ग्राम शिवपुर भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल ज्ञानगढ की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में आ0नं0 2336 रकबा 2.13 बीघा भूमि अन्य आराजीयात कीता 5 कुल रकबा 4.16 बींघा अन्य सहखातेदारों के साथ 1/4 हिस्से से श्री भोला पिता छीतर के नाम दर्ज थी। भोला की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1497 दिनांक 28.01.2013 से विरासत से खाता श्री लादूलाल, गेहरूलाल, लाडू, पेमी, देउ पिता बालू , अणछीदेवी पत्नि बालू व सायरी पुत्री भोला का नाम अंकित हुआ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त राजस्व रिकॉर्ड को नजरअन्दाज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपीलार्थीगण को बिना सुने ही मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थनापत्र को ही वाद मानते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो सिविल प्रक्रिया संहिता व रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के तहत प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक प्रक्रियाओं एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की किसी भी तरह से पालना नहीं की गई है । अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 15.06.2015 को केवल मात्र भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ की कब्जा रिपोर्ट, पटवारी हल्का शिवपुर का मौका पर्चा व तहसीलदार करेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर मात्र सादे कागज पर प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र को ही वाद में दर्ज करते हुए अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 को विधि विरूद्ध पारित किया जबकि दिनांक 15.06.2015 को आ0नं0 2336 अपीलाण्टगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्से से खातेदार दर्ज होते हुए न तो अपीलाण्टगण को पक्षकार ही बनाया एवं न ही उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया और मन मकसूद तरीके से निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई जो विधिविरूद्ध एवं त्रुटीपूर्ण होने से खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय अहकाम निर्णय दिनांक 03.07.2015 के आरम्भ से ही प्रकट है कि प्रार्थी श्री चान्दमल द्वारा प्रार्थना पत्र लोक अदालत कैम्प शिवपुर पर पेश किया गया। ऐसे प्रार्थनापत्रों पर प्रशासनिक निर्णय तो दिया जा सकता है, परन्तु वाद के रूप में स्वीकार का विधिक प्रक्रिया की पालना न कर निर्णय व डिक्री जारी किये जाने का समर्थन नहीं किया जा सकता।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निरस्त किया जाता है। चूंकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0 1 के द्वारा वादग्रस्त आराजी को सप्रतिफल जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र के स्व0 भोला पिता छीतर गूजर से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जाना बताया है अतः प्रार्थनापत्र कर्ता चांदमल पिता प्रेमराज महाजन निवासी शिवपुर किसी प्रकार का अनुतोष लेना चाहे तो वह विधिवत वाद लाने के लिए स्वतंत्र रहेगें।

13. निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/29/2017

उनवान

1. श्री लादूलाल पिता बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्री गेहरूलाल पिता बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. लाडू पुत्री बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. पेमी पुत्री बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. देउ पुत्री बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. अणछी पत्नि बालू गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. सायरी पुत्री भोला गूजर निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री चॉदमल पिता प्रेमराज महाजन निवासी शिवपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा के प्रकरण संख्या 27/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015

——

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/29/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 20.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी0एल0गुर्जर अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं01 की ओर से श्री राकेश जैन अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 20.09.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

: अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 को खारिज किया जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस